

संख्या-183 /2025/ 660 मु0मं0न0सू0यो0/9-2-2025-ई0-1881409

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 15 जनवरी, 2025

विषय:-मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर निगम, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं नवसृजित नगर पंचायतों को धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/261/28(2)-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0 आर0/24-25, दिनांक 24.10.2024, पत्र सं0-तक0सेल/271/28(2)-मु0मं0न0सू0यो0/ डी0 पी0आर0/24-25, दिनांक 28.10.2024, पत्र सं0-तक0सेल/295/28(2)-मु0मं0न0 सू0यो0/डी0 पी0आर0/24-25, दिनांक 12.11.2024, पत्र सं0-तक0सेल/315/28(2)- मु0मं0न0सू0यो0/डी0 पी0आर0/24-25, दिनांक 29.11.2024, पत्र सं0-तक0सेल/372/ 28(2)-मु0मं0न0सू0यो0/डी0 पी0आर0/24-25, दिनांक 13.12.2024 एवं पत्र सं0-तक0 सेल/383/28(2)-मु0मं0न0सू0यो0/डी0 पी0आर0/24-25, दिनांक 18.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर निगम, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों एवं नवसृजित नगर पंचायतों का डी0पी0आर0 उपलब्ध कराते हुए धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत सीमा विस्तारित/उच्चीकृत/निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के विकास/सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से सीमा विस्तारित/उच्चीकृत/नवसृजित 18 निकायों को संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों हेतु कॉलम-3 में अंकित कुल धनराशि **रू0 13917.36 लाख (रू0 एक अरब उनतालीस करोड़ सत्रह लाख छत्तीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कॉलम-04 में अंकित कुल धनराशि **रू0 5173.13 लाख (रू0 इक्यावन करोड़ तिहत्तर लाख तेरह हजार मात्र)** प्रथम किशत में अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं०-10-5002/125/2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की गाईडलाईन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
6. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
8. प्रश्रुत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
9. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
10. प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
11. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
13. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
14. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
15. कार्य की द्विवरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो। इसे अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
16. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्रुत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित नगर आयुक्त तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

17. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कायदेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा, तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. सेन्टेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियां से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19. निकाय द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत नियमानुसार निर्गत की जा रही धनराशि में निर्णयोपरान्त एक प्रतिशत ए०एण्ड०ओ०ई० मद की धनराशि दी गयी है। निकाय द्वारा प्रत्येक कार्य की लागत में यदि 03 प्रतिशत आई०ई०सी० एवं ए०एण्ड०ओ०ई० मद की धनराशि शामिल की गयी है, तो निकाय को मात्र एक प्रतिशत ए०एण्ड०ओ०ई० मद में व्यय करने की अनुमति है। शेष धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
20. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकाय को उपलब्ध करायी जाये।
21. निर्गत की जा रही धनराशि से निगम द्वारा तीन माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश संख्या-1489/नौ-9-2022-84ज/2022, दिनांक 08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
22. यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में विस्तारित क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाये। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिलाधिकारी/मेयर/नगर आयुक्त/अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी की होगी।
23. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं०-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित नगर आयुक्त द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।
24. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षक: 2217801910300 (उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर निगमों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217801910300 उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर निगमों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	30,39,69,000.00 (रुपये तीस करोड़ उनतालीस लाख उनहत्तर हजार मात्र)
	कुल			30,39,69,000.00 (रुपये तीस करोड़ उनतालीस लाख उनहत्तर हजार मात्र)

लेखाशीर्षः 2217801920300 (उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217801920300 उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	5,20,15,000.00 (रुपये पाँच करोड़ बीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)
	कुल			5,20,15,000.00 (रुपये पाँच करोड़ बीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)

लेखाशीर्षः 2217801930300 (नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217801930300 नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	12,13,09,000.00 (रुपये बारह करोड़ तेरह लाख नौ हजार मात्र)
	कुल			12,13,09,000.00 (रुपये बारह करोड़ तेरह लाख नौ हजार मात्र)

लेखाशीर्षः 2217801930400 (उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217801930400 उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4,00,20,000.00 (रुपये चार करोड़ बीस हजार मात्र)
	कुल			4,00,20,000.00 (रुपये चार करोड़ बीस हजार मात्र)

महायोग	51,73,13,000.00 (रुपये इक्यावन करोड़ तिहत्तर लाख तेरह हजार मात्र)
--------	--

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-9-369-X-2024-25-दिनांक: 13-01-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Signed by भवदीय,
Sanjay Kumar Tiwari

Date: 15-01-2025 10:42:48
(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

संख्या-183(1)/2025/660 मु0मं0न0सू0यो0/9-2-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- (7) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- (8) नगर आयुक्त, सम्बन्धित नगर निगम।
- (8) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- (9) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- (11) मेयर/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित निकाय।
- (12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-183 /2025/660 मु0मं0न0सू0यो0/9-2-2025-ई0-1881409, दिनांक
15-01-2025 का अनुलग्नक

(1) विस्तारित नगर निगम वाराणसी, जनपद-वाराणसी

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (जी 0एस0टी0 एवं ए0एण्ड ओ0ई0 मद सहित)	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	वार्ड सं0 3 फुलवरिया में मेन रोड पर कल्लू पाल के मकान से रोहित पाल के मकान के आगे तक व राम जी सोनकर से राजेश पटेल तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	32.93	13.01
2	वार्ड सं0 3 फुलवरिया में राम बचन पाल हरेन्द्र के मकान से आलोक सिंह व चन्दन गिरी से मंजुला श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	18.74	7.40
3	वार्ड सं0 3 फुलवरिया में रामू पाल के मकान से मनोज गुप्ता व मुन्ना ठाकुर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	16.95	6.70
4	वार्ड सं0.4 शिवदासपुर में लोहा सिंह के मकान से बावन के मकान तक सी0सी0 रोड कार्य।	12.84	5.07
5	वार्ड सं0.4 शिवदासपुर में गोपाल पटेल के मकान से लालचन्द के मकान तक सी0सी0 रोड कार्य।	12.23	4.83
6	वार्ड सं0.4 शिवदासपुर में चद्रिका माता मंदिर से रविन्द्र के जमीन तक सी0सी0 रोड कार्य।	12.23	4.83
7	वार्ड सं0.4 शिवदासपुर में रिक्की के घर से तबस्सुम खान के मकान ब्लाक तक सी0सी0 रोड कार्य।	11.95	4.72
8	वार्ड सं0.4 शिवदासपुर में प्राइमरी स्कूल से मेन रोड तक सी0सी0 रोड कार्य।	12.51	4.94
9	वार्ड सं0.4 शिवदासपुर में सिन्धोरिया नगर कालोनी में सिंह भवन के बगल से आनन्द कुमार मिश्रा के मकान होते हुए यादव जी के मकान तक सी0सी0 रोड कार्य।	25.02	9.88
10	वार्ड सं0.4 शिवदासपुर गोसाईं बस्ती में रजिन्दर बिन्द के मकान से अमृतलाल गुप्ता के मकान तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	16.68	6.59
11	वार्ड सं0.4 शिवदासपुर भिटारी में डा0 अनिल उपाध्याय के मकान से अवधेश तिवारी के मकान तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	12.23	4.83

12	वार्ड सं0.4 शिवदासपुर में प्राथमिक विद्यालय से होकर विजय बहादुर सिंह एडवोकेट के मकान तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	27.81	10.98
13	वार्ड सं0 5 सलारपुर में पंचायत भवन रासुलगढ़ के बागल वाली गली से अशोक बड़ई के घर तक सी सी रोड निर्माण का कार्य	9.01	3.56
14	वार्ड सं0 5 सलारपुर में दुलारे के घर से होते हुए हंसराज के बगीचा तक सी0 सी0 रोड निर्माण का कार्य	7.28	2.88
15	वार्ड सं0 5 सलारपुर में बनवारी राजभर के घर से होते हुए हरिजन बस्ती कुंवा तक सी सी रोड निर्माण का कार्य ।	7.04	2.78
16	वार्ड सं0 5 सलारपुर अंतर्गत मलिन बस्ती खालिसपुर से एम टी कालेज के पहले तक सी0 सी0 रोड निर्माण का कार्य ।	9.26	3.66
17	वार्ड सं0 5 सलारपुर में विजय राजभर के घर से राधे नेता के घर तक सी0 सी0 रोड निर्माण का कार्य।	7.26	2.87
18	वार्ड सं0-6 मण्डुआडीह में लालमणि पटेल के मकान से लेकर मण्डुआडीह प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	11.26	4.45
19	वार्ड सं0-6 मण्डुआडीह में श्री रमेश पटेल के मकान से श्री तूफानी राजभर के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	11.11	4.39
20	वार्ड सं0-6 मण्डुआडीह में बी०एल०डब्लू० रोड से राजकीय महिला महाविद्यालय तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	13.07	5.16
21	वार्ड सं0-6 मण्डुआडीह में जागृति विद्यालय से लेकर मण्डुआडीह मेन रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	11.26	4.45
22	वार्ड सं0-6 मण्डुआडीह में महेशपुर रघुवंश नगर कॉलोनी के दोनों ओर श्री इंद्रजीत सिंह के मकान से लेकर जितेंद्र यादव के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	12.01	4.74
23	वार्ड सं0-6 मण्डुआडीह में महेशपुर भीतरी रोड अमन साहू से लेकर अखिलेश राय तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	12.79	5.05
24	वार्ड सं0-6 मण्डुआडीह में महेशपुर भीतरी रोड से गोपाल यादव से लेकर देवराज तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	11.12	4.39
25	वार्ड सं0-6 मण्डुआडीह अन्तर्गत चांदपुर में विकास नगर कालोनी अमोनिया कम्पनी मोड़ से श्री भोला पटेल जी के मकान से होते हुये श्री विजय गुप्ता जी के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	16.63	6.57
26	वार्ड सं0-6 मण्डुआडीह अन्तर्गत चांदपुर में श्री राम अचल पटेल जी के मकान से लेकर श्री दीपक यादव जी के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	7.95	3.14
27	वार्ड सं0 8 दीनापुर अंतर्गत कोटवा कर्मौली मार्ग बबलु यादव के घर से नाला पुलिया तक सी सी रोड निर्माण का कार्य।	8.67	3.42